रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2016/वैशाख 15, 1938
No. 325] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2016/ VAISAKHA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

सा. का. नि. 484 (अ).—केंद्र सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 के खंड ज के साथ पठित धारा 12 और 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2016 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2016 में निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. बहु-उद्देश्यीय कर्मचारी	24 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	लागू नहीं	वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. + ग्रेड वेतन 1800/-रु.	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। **टिप्पण 1-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरु णाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं

					कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2**- रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की स्थिति में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं	**दो वर्ष ।** **टिप्पण :** दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य अधिष्ठापन प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना शामिल है।	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य । (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी (पार्ट)]

अरूण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2016 सरकारी राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ), दिनांक 21.04.2016 के तहत प्रकाशित हुए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2016

G.S.R. 484 (E).—In exercise of powers conferred by section 12 and section 13 read with clause (h) of section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Rules, 2016, the following Schedule shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay band and grade pay or pay scale**	**Whether selection post or non selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Multi-tasking staff	24 (2016). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Pay band-1, Rs. 5200 – 20200/- plus grade pay of Rs. 1800/-.	Not applicable	Between 18 and 25 years **Note 1.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2.-** In case of the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from a recognised Board	Not applicable	Two years. **Note.-** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee–Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT (pt.)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Note: National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Rules, 2016, was published in the Official Gazette vide Notification number G.S.R. 437 (E) dated 21.04.2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.